

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2017—कार्तिक 12, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

संशोधन

क्र. एफ-3-8-2014-बासठ.—राज्य शासन, एतद्वारा “विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के उत्थान हेतु (शिक्षा एवं समाज सेवा) उत्कृष्ट कार्य करने वाले मध्यप्रदेश के समाज सेवक को पुरस्कार योजना नियम-2014”, का प्रकाशन दिनांक 14 अक्टूबर 2014 की कंडिका 1.1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.

पूर्व का नियम

1.1 ये नियम “विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के उत्थान हेतु (शिक्षा एवं समाज सेवा) उत्कृष्ट कार्य करने वाले मध्यप्रदेश के समाज सेवक को पुरस्कार योजना नियम-2014” कहे जायेंगे.

संशोधन

उक्त नियम के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

1.1 ये नियम “विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के उत्थान हेतु (शिक्षा एवं समाज सेवा) उत्कृष्ट कार्य करने वाले मध्यप्रदेश के समाज सेवक को पुरस्कार योजना नियम-2014” कहे जायेंगे. इस पुरस्कार का नाम “संत श्री सेवालाल जी महाराज” पुरस्कार होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश एस. थेटे, सचिव.